भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2015/फाल्गुन 22, 1936
No. 144] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2015/PHALGUNA 22, 1936

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली,13 मार्च, 2015

सा.का.नि.191(अ).—केन्द्रीय सरकार, भांडागार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 50 की उप-धारा (1) और उपधारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (2), उप-धारा (3) और उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भांडागार (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भांडागार (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भांडागार (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा) गया है, नियम 5 में, शब्दों "आहरण और वितरण अधिकारी, भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक" के स्थान पर "भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के पक्ष में किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या इलैक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली के माध्यम से" शब्द रखे जाएंगे ;

3. उक्त नियमों के, नियम 6 में, शब्दों "आहरण और वितरण अधिकारी, भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक" के स्थान पर "भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के पक्ष में किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या इलैक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली के माध्यम से" शब्द रखे जाएंगे ;

4. उक्त नियमों के, नियम 8 में, खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(i) स्वामित्व का सबूत या पट्टा विलेख या भाटक करार, जो भांडागार का कब्जा दर्शाता हो,";

5. उक्त नियमों के, नियम 13 में,—

(i) उपनियम (1) में, "दो प्रतियों में" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का इच्छुक कोई भांडागारपाल रजिस्ट्रीकरण की अवधि की समाप्ति से पूर्व तीन मास के भीतर प्ररूप क1 में प्राधिकरण को आवेदन कर सकेगा।"

[फा. सं. टीएफसी/16/2012]
प्रशांत त्रिवेदी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 892(अ), तारीख 8 नवंबर, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

1. सा.का.नि. 197(अ), तारीख 2 अप्रैल, 2013 ;
2. सा.का.नि. 811(अ), तारीख 17 नवंबर, 2014 ; और
3. सा.का.नि. 821 (अ), तारीख 19 नवंबर, 2014 ।